

समाज कल्याण विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (अनुदान) स्वीकृत के लिए आवेदन—पत्र

1. आवेदक का नाम
पिता / पति का नाम
2. पूरा पता ग्रामपो०विकासखण्ड.....
तहसीलजिला.....
3. मृतक का नाम.....जाति.....
4. मृतक का पूरा नाम
5. मृतक की तिथि समय व स्थान
6. मृतक का कारण.....
7. मृतक का पेशा.....
8. मृतक की दिनांक को मृतक की उम्र.....
9. मृतक के परिवार की वार्षिक / मासिक आमदनी.....
10. आवेदक का मृतक से सम्बन्ध.....
11. मृतक के आश्रितों का विवरण.....

दिनांक.....
स्थान: लखनऊ

आवेदक का हस्ताक्षर / अँगूठा निशानी बायां / दायां

प्रमाणित किया जाता है मृतक परिवार की आय का मुख्य साधक था मृतक के परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी विभाग द्वारा कोई पेशन / आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हई है। आवेदन—पत्र में किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। आवेदन—पत्र में जो सूचना दी गई है वह सत्य है और यदि गलत पाई जाय तो प्राप्त आर्थिक सहायता की धनराशि सरकार को दूंगा / दूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर / अँगूठा निशानी बायां / दायां

नोट:- आवेदन—पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जायगा ।

- 1— मृतक परिवार के आय का मुख्य साधक था तथा परिवार की कुल वार्षिक आय का प्रमाण—पत्र तहसीलदार / उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र मान्य होगा ।
- 2— मृतक की उम्र का प्रमाण—पत्र ।
- 3— मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण—पत्र आसमायिक / दुर्घटना मृत्यु होने की दशा में दर्ज कराई गई ए0आई0आर0 तथा पोस्टमार्टस रिपोर्ट की कापी ।